

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या - 2342/2014**

मलकीत शर्मा

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : धर्मेन्द्र कुमार सिंह, सरोजिनी बाला यादव
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, ए.जेड. सिद्दीकी

न्यायालय संख्या- 12**माननीय न्यायमूर्ति, पंकज भाटिया**

1. प्रार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सरोजिनी बाला यादव, साथ ही विद्वान अ.शा.अ. श्री अरुण कुमार वर्मा और विपक्षी संख्या 2 की ओर से पेश हुए श्री प्रतीक तिवारी को सुना।
2. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या- 2330/2010 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 859/2011 में 10.04.2014 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया है, जिसके तहत दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थी को परीक्षण का सामना करने के लिए समन जारी किया गया था।
3. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि अभियुक्तगण जिनमें प्रार्थी भी शामिल है, के विरुद्ध एक प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 01.12.2010 को सुबह लगभग 6:30 बजे, शिकायतकर्ता का भतीजा एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकला था। बाद में, शिकायतकर्ता के भतीजे की पिटाई की गई और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। विवेचना के बाद,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

केवल एक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया, न कि प्रार्थी के खिलाफ। परीक्षण के दौरान, घटना के चश्मदीद साक्षी ने - जिसका बयान प्रति शपथ पत्र के साथ अभिलेख पर है - विशेष रूप से प्रार्थी का नाम लिया। उसने कहा कि प्रार्थी भी उस गोलीबारी में शामिल था जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई। चश्मदीद साक्षी के इसी बयान के आधार पर, दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत परीक्षण के लिए याचिकाकर्ता को तलब करने का आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

4. ऊपरोक्त के द्रष्टिगत, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह विधिक रूप से गलत है, क्योंकि प्रार्थी उसी जगह पर शादी में शामिल हो रहा था, जैसा कि तस्वीरों से पता चलता है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि का.वि.अ. विश्लेषण जो आरोप-पत्र का हिस्सा है, के अनुसार, प्रार्थी की मौजूदगी कहीं और पाई गई थी और इसलिए, आरोप-पत्र से प्रार्थी का नाम हटा दिया गया था। इस तर्क के समर्थन में, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 'हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य' (2014) 3 एस.सी.सी. 92 मामले के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 319 के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि धारा 319 के तहत अभियुक्त को समन भेजने के लिए ज़्यादा ठोस आधार या संतुष्टि की ज़रूरत होगी। 'माइकल मचाडो और अन्य बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य' 2000 ए.आई.आर.(एस.सी.) 1127 मामले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत परीक्षण के लिए अभियुक्त को समन भेजने के लिए परीक्षण न्यायालय के समक्ष मौजूद साक्ष्य संदेह से परे होने चाहिए।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 730 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अभियोजन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्ष के उन साक्षियों के साक्ष्यों के आधार पर, जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत अभियुक्त को मुकदमे के लिए बुलाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी।

6. ऊपरोक्त के दृष्टिगत, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत प्रार्थी को समन भेजने से पहले अदालत को आरोप-पत्र में परिलक्षित सामग्री पर विचार करना चाहिए था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यह आदेश विधिक रूप से गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
7. दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि चक्षुदर्शी साक्षियों के बयानों में प्रार्थी का नाम खास तौर पर गोली लगने से कारित चोट के लिए लिया गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि घटना के समय कहीं अन्यत्र होने की दलील पर भी परीक्षण न्यायालय ने आदेश देने से पहले विचार किया था, इसलिए चुनौती दिए गए आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जिसके तहत प्रार्थी को परीक्षण का सामना करने के लिए समन किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि इसी साक्ष्य के आधार पर एक सह-अभियुक्त कश्मीर सिंह को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए प्रार्थी का भी परीक्षण होना चाहिए।
8. विद्वान अ.शा.अ. श्री अरुण वर्मा का निवेदन है कि दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल उन साक्ष्यों या जानकारी के आधार पर किया जा सकता है जो परीक्षण के दौरान परीक्षण न्यायालय के सामने आते हैं। इस मामले में, चक्षुदर्शी साक्षी का बयान स्पष्ट और ठोस था क्योंकि इसमें प्रार्थी का नाम गोली लगने से आयी चोट के लिए लिया गया था। इसमें 'ओमी उर्फ आँकार राठौर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य: 2025 आई.एन.एस.सी. 27' मामले के फैसले का भी हवाला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिया गया है, जिसमें दं.प्र.सं. की धारा 319 से संबंधित कानूनी सिद्धांतों को संक्षेप में बताया गया था, जो इस प्रकार हैं:

"21. दं.प्र.सं. की धारा 319 से संबंधित विधिक सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है:"

क. दं.प्र.सं. की धारा 319 और ऊपर बताए गए दो फैसलों को ध्यान से पढ़ने पर यह साफ हो जाता है कि परीक्षण न्यायालय के पास किसी ऐसे व्यक्ति को परीक्षण में शामिल करने का पूरा अधिकार है जो पहले से अभियुक्त नहीं है, ताकि वह दूसरे सह-अभियुक्तों के साथ परीक्षण का सामना कर सके। ऐसा तब किया जा सकता है जब न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाए कि जिन लोगों को अभियुक्त नहीं बनाया गया था, उन्हें भी परीक्षण का सामना करना चाहिए। यह भी साफ है कि भले ही किसी व्यक्ति का नाम शुरू में प्र.सू.रि. में अभियुक्त के तौर पर था, लेकिन उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, फिर भी उसे परीक्षण का सामना करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

ख. परीक्षण न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को अभियुक्त के तौर पर शामिल करने का कदम सिर्फ अपने सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही उठा सकती है, न कि आरोप-पत्र या अनुसंधान दैनिकी में मौजूद जानकारी के आधार पर; क्योंकि आरोप-पत्र या अनुसंधान दैनिकी में मौजूद ऐसी जानकारी साक्ष्य नहीं माना जाता है।

ग. दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्ति इस बात से नियंत्रित या संचालित नहीं होती है कि संबंधित व्यक्ति का नाम प्र.सू.रि. में है या नहीं। न ही यह इस बात पर निर्भर करती है कि पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है या नहीं। इस तर्क के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संबंध में कि धारा 319 में इस्तेमाल वाक्यांश 'कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है' उन अभियुक्तों को इसके दायरे से बाहर रखता है जिन्हें पुलिस ने संहिता की धारा 169 के तहत रिहा कर दिया है और आरोप-पत्र के प्रारूप संख्या 2 में दिखाया है, यह तर्क केवल कहने भर के लिए है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। उक्त वाक्यांश स्पष्ट रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है जिस पर न्यायालय पहले से मुकदमा नहीं चला रहा है और धारा 319(1) जैसे प्रावधान को लागू करने का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें पुलिस ने विवेचना के दौरान मुक्त कर दिया था, लेकिन जिनके अपराध में शामिल होने के साक्ष्य आपराधिक न्यायालय के सामने आते हैं।

ग. परीक्षण न्यायालय के लिए यह सही नहीं होगा कि वह विवेचक के अभिलेख को ध्यान में रखकर नए अभियुक्त को जोड़ने के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दे। जब शिकायतकर्ता का साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो, तो विवेचक की संतुष्टि से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर विवेचक की संतुष्टि को ही निर्णायक माना जाए, तो धारा 319 का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा।

9. इस मामले में विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करते हुए, भले ही प्रार्थी के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, लेकिन घटना के समय कहीं और होने के दावे और का.वि.अ. अभिलेख के विश्लेषण के आधार पर, चक्षुदर्शी के खास बयानों से साफ पता चलता है कि गोली लगने से कारित चोट में प्रार्थी की सहभागिता थी। शव-विच्छेदन आख्या के अनुसार, मृत्यु की वजह गोली लगने से आई चोट थी। परीक्षण न्यायालय ने 'अन्यत्र उपस्थित' के दावे पर यह कहते हुए फैसला दिया कि का.वि.अ. के विश्लेषण और बसंत लाल के बयान से यह पुख्ता तौर पर नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कहा जा सकता कि प्रार्थी इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि चक्षुदर्शी के साक्ष्य ने साफ तौर पर प्रार्थी को इसमें शामिल बताया है।

10. संबंधित पक्षों द्वारा ऊपर बताए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए, दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करने से सम्बन्धित कानून बिल्कुल स्पष्ट है। अगर परीक्षण न्यायालय को अपने सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह लगता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ स्पष्ट मामला बनता है, तो उसे समन भेजा जाना चाहिए। इस मामले के तथ्यों को देखें तो, कथित अपराध करने के लिए प्रार्थी को दोषी ठहराने के लिए चक्षुदर्शी साक्षी के स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हैं; इसलिए, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. इस प्रार्थना पत्र में कोई बल नहीं है और इसलिए इसे निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति, पंकज भाटिया)

17 मार्च, 2026

ए.के. वर्मा